बिहार में 1539 फार्मासिस्ट की होगी नियुक्ति

हि जॉब्स

- स्वास्थ्य विभाग ने विधि विभाग को भेजा प्रस्ताव
- चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के अस्पतालों में संसाधनों एवं दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही फर्मासिस्टों की कमी को दूर करने की दिशा में प्रयास तेज कर दिया गया है।

स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 1539 पदों पर फर्मासिस्ट की नियुक्त करेगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को मंजूरी के लिए भेजा है। विधि विभाग की मंजूरी के बाद वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी और नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेज दिया जाएगा। फार्मासिस्ट के पद पर उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक रिकॉर्ड और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, रिक्तियों के अनुरूप यदि अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो संबंधित संस्थान उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए लिखित परीक्षा का भी आयोजन कर सकता है।

फार्मासिस्ट को 5200 से 20200 और ग्रेड पे 2800 मिलेगा : सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त होने वाले फार्मासिस्ट को वेतनमान 5200 से 20200 और ग्रेड पे 2800 रुपये का दिया जाएगा। हालांकि यदि फार्मासिस्ट के पद पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाती है तो आमतौर पर 20000 रुपये प्रति माह तक मानदेय दिया जाता है।

तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी स्थायी बहाली

स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से फर्मासिस्टों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए साइंस विषय के साथ 10 प्लस टू उत्तीर्ण होना, डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट का क्लीयर होना और फार्मेसी काउंसिल में निबंधित होना जरूरी होगा। योग्य आवेदकों से आयोग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए महिलाओं को 35 प्रतिशत और दिव्यांगजनों को नियमानुसार चार प्रतिशत आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा सरकार के नियमानुसार छूट दी जाएगी है।